संख्या-980/2025/2057/22-2-2023-17(432)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी काशी पुत्र श्री भंवर सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0बैठक-31-03-2023 दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी काशी पुत्र श्री भंवर सिंह, जो ग्राम-महराना, थाना-बरसाना, जनपद-मथुरा का निवासी है। बन्दी द्वारा गंगा राम की पुत्री अपने घर से भाग गयी थी। 03 दिन बाद वापस आयी तो 02 लड़कों के ऊपर आरोप लगाकर दिनांक 28.03.1991 को 53 लोगो ने मिलकर सांयकाल समय 9.00 बजे मंगतू पहलवान की बैठक पर पंचायत बुलायी गयी जिसमें तीनों को बारी-बारी से पीटा गया और दोनो लड़कों को उल्टा लटका कर उनके गुप्तागों को जलाया गया। प्रात:काल फांसी पर लटकाया और फिर अधमरे हालत में शमशान घाट पर जला कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-359/1991, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 324/149, 201/149, 147 व 3(3)10 एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-02 मथुरा के दण्डादेश दिनांक 16.11.2011 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31.05.2016 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 26.11.2021 द्वारा सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.10.2022 तक अपरिहार 10 वर्ष 09 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष, 06 माह 11 दिन की सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मथुरा द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी की 54 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता (03 हत्या) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मथुरा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी काशी (बन्दी संख्या-17122) पुत्र श्री भंवर सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-980/2025/2057(1)/22-2-2023-17(432)/2024तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।